



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 2 फरवरी 2013—माघ 13, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2013

क्र. 746-42-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28 जनवरी 2013 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ११ सन् २०१३

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, २०१२

[दिनांक २८ जनवरी, २०१३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक २ फरवरी, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, २०१२ है.

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

(२) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

२. मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ (क्र. ३६ सन् १९८३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, खण्ड (३) में, उप-खण्ड (ख) में, शब्द "एक हजार छह सौ रुपये" के स्थान पर, शब्द "दस हजार रुपये" स्थापित किए जाएं.

धारा २ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ९ में,—

धारा ९ का संशोधन.

(एक) उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(२) यदि किसी कर्मचारी का नाम किसी स्थापन के रजिस्टर में किसी कैलेण्डर वर्ष में (अर्थात् जनवरी से दिसम्बर तक) तीस कार्य दिवसों को दर्ज रहता है, तो ऐसे प्रत्येक कर्मचारी द्वारा प्रत्येक छह मास में (अर्थात् ३० जून तथा ३१ दिसम्बर को) देय अभिदाय की रकम केवल

दस रुपये होगी और प्रत्येक ऐसे कर्मचारी के लिए नियोजक द्वारा प्रत्येक छह मास में देय अभिदाय की रकम तीस रुपये होगी :

परन्तु प्रत्येक छह मास में नियोजक के अभिदाय की रकम एक हजार पांच सौ रुपये से कम नहीं होगी.”;

(दो) उपधारा (३) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

“परन्तु १५ जुलाई और १५ जनवरी को समाप्त होने वाले छह मास के पूर्व मण्डल को दो या अधिक कालावधि के अभिदाय का अग्रिम भुगतान करने पर, नियोजक को पांच प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी तथा उक्त छह मास की कालावधि समाप्त होने के पश्चात् भुगतान करने पर उतने प्रतिशत जुर्माना, जो कि दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, अधिरोपित किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, अवधारित किया जाए.”.

धारा ३१ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ३१ में,—

(एक) उपधारा (१) में,—

(क) खण्ड (क) में, शब्द “पांच सौ रुपये” के स्थान पर, शब्द “पांच हजार रुपये” स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द “एक हजार रुपये” के स्थान पर, शब्द “दस हजार रुपये” स्थापित किए जाएं;

(ग) परन्तुक में, शब्द “एक सौ रुपये” के स्थान पर, शब्द “दो हजार रुपये” स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) में शब्द “दो हजार रुपये” के स्थान पर, शब्द “बीस हजार रुपये” स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2013

क्र. 747-42-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 11 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 11 OF 2013

THE MADHYA PRADESH SHRAM KALYAN NIDHI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2012.

[Received the assent of the Governor on the 28th January, 2013; assent first published in the “Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)”, dated the 2nd February, 2013.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-third year of the Republic of India as follows :—

Short title and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 36 of 1983) (hereinafter referred to as the Principal Act), in clause (3), in sub-clause (b), for the words “one thousand and six hundred rupees”, the words “ten thousand rupees” shall be substituted. **Amendment of Section 2.**

3. In Section 9 of the Principal Act,—

Amendment of Section 9.

(i) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely :—

“(2) If the name of the employee stands on the register of an establishment on thirty working days in a calendar year (that is January to December), the amount of contribution payable every six months, (that is on 30th June and on 31st December) by every employee shall be ten rupees only and by an employer for each such employee shall be thirty rupees payable every six months :

Provided that the employer’s contribution payable every six months shall not be less than one thousand five hundred rupees.”;

(ii) in sub-section (3), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely :—

“Provided that an incentive amount of five percent shall be given to employer on advance payment of two or more period of contribution before six months ending of 15th day of July and 15th day of January to the Board and such percentage of fine shall be imposed as determined by the State Government, by notification, which shall not exceed ten percent, on payment after ending of said six months period.”.

4. In Section 31 of the Principal Act,—

Amendment of Section 31.

(i) in sub-section (1),—

(a) in clause (a), for the words “five hundred rupees”, the words “five thousand rupees” shall be substituted;

(b) in clause (b), for the words “one thousand rupees”, the words “ten thousand rupees” shall be substituted;

(c) in the proviso, for the words “one hundred rupees”, the words “two thousand rupees” shall be substituted;

(ii) in sub-section (2), for the words “two thousand rupees”, the words “twenty thousand rupees” shall be substituted.